39

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय

क्रमांक–सी–3–12/2011/3/1 भोपाल, दिनांक 20 जनवरी, 2012

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त कलेक्टर,
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत,
मध्यप्रदेश।

विषयः–अधिवार्षिकी पूर्ण कर सेवानिवृत्त हो चुके शासकीय सेवकों की संविदा नियुक्ति।

संदर्भ :– इस विभाग का समसंख्यक ज्ञापन दिनांक 03.09.2011.

सामान्य प्रशासन विभाग के संदर्भित ज्ञापन द्वारा अधिवार्षिकी आयु पूर्ण कर सेवानिवृत्त हो चुके शासकीय सेवकों की संविदा नियुक्ति हेतु प्रक्रिया एवं सेवा शर्तें निर्धारित की गई हैं। उपरोक्त परिपत्र की कंडिका (4) में अधिवार्षिकी आयु पूर्ण कर सेवानिवृत्त शासकीय सेवकों की संविदा नियुक्ति हेतु प्रकरण छानबीन समिति के समक्ष रखे जाने के निर्देश हैं। छानबीन समिति की सिफारिश एवं मंत्रि–परिषद् आदेश से संविदा पर नियुक्ति शासकीय सेवक को पुनः संविदा पर नियुक्त किये जाने के संबंध में प्रकरण छानबीन समिति के समक्ष प्रस्तुत करने में अनावश्यक विलम्ब होता है अतः निर्णय लिया गया है कि ऐसे प्रकरण छानबीन समिति के समक्ष पुनः प्रस्तुत किये जाना आवश्यक नहीं है। उपरोक्त निर्णय के अनुसार समसंख्यक परिपत्र दिनांक 03.09.2011 की कंडिका (4) के नीचे निम्नानुसार उपकंडिका जोड़ी जाये :–

"परन्तु ऐसे प्रकरण जिनमें छानबीन समिति की अनुशंसा के आधार पर मंत्रि–परिषद् आदेश से सेवानिवृत्त अधिकारी की संविदा नियुक्ति अनुमोदित की है, जो सामान्यतः एक वर्ष की होती है, तो उसके पश्चात् संबंधित विभाग यदि उस अधिकारी की सेवाओं से संतुष्ट है तो पुनः एक वर्ष की संविदा नियुक्ति हेतु छानबीन समिति की अनुशंसा की आवश्यकता नहीं होगी।"

2/ उपरोक्त परिपत्र की कंडिका (8)(6 के अनुसार संविदा पर नियुक्त सेवानिवृत्त शासकीय सेवकों को आवास गृह की पात्रता नहीं है। शासन द्वारा पूर्ण विचारोपरांत निर्णय लिया गया है कि कंडिका (8) की शर्त क्र. (6) के अंत में निम्नानुसार परन्तुक जोड़ा जाये:–

"परन्तु जो विभाग यथा नर्मदा घाटी विकास विभाग आदि संविदा नियुक्ति करते हैं और विभागीय आवास गृह आबंटित करते हैं अथवा रखने की अनुमति देते हैं तो केवल इस सीमा तक उपरोक्त शर्त लागू नहीं होगी।"

निरंतर... 2

3/ संविदा की शेष सभी शर्तें एवं प्रक्रियाऐं यथावत रहेंगी।

(विजया श्रीवास्तव)
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

पृ. क्रमांक–सी–3–12/2011/3/1 भोपाल, दिनांक 20 जनवरी, 2012

प्रतिलिपि :–

1. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, मध्य प्रदेश जबलपुर
2. सचिव, लोकायुक्त, मध्य प्रदेश भोपाल
3. सचिव मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग इन्दौर
4. महानिदेशक, प्रशासन अकादमी मध्य प्रदेश भोपाल
5. राज्यपाल के सचिव, मध्य प्रदेश राजभवन भोपाल
6. प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश विधान सभा सचिवालय, भोपाल
7. प्रमुख सचिव/सचिव, मुख्य मंत्री, मुख्य मंत्री सचिवालय, मध्य प्रदेश भोपाल
8. मंत्री/राज्य मंत्रीगण के निज सचिव/निज़ सहायक, मध्य प्रदेश भोपाल
9. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्य प्रदेश भोपाल
10. सचिव, मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल
11. अध्यक्ष, व्यवसायिक परीक्षा मण्डल, मध्य प्रदेश भोपाल
12. महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, खण्ड पीठ इन्दौर/ग्वालियर/जबलपुर
13. महालेखाकार, मध्य प्रदेश, ग्वालियर/भोपाल
14. प्रमुख सचिव/सचिव/उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, भोपाल
15. उप सचिव/अवर सचिव/स्थापना/अधीक्षण/अभिलेख/मुख्य लेखाधिकारी,म.प्र.मंत्रालय।
16. मुख्य सचिव के अपर सचिव, मंत्रालय, भोपाल
17. आयुक्त जनसम्पर्क संचालनालय, मध्य प्रदेश भोपाल
18. सचिव, मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग निर्वाचन भवन द्वितीय मंजिल भोपाल
19. अध्यक्ष, मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण समिति भोपाल
20. अध्यक्ष, शासन के समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ भोपाल।

20/1/12

(कमला अजीतवार)
अवर सचिव
सामान्य प्रशासन विभाग